

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-51-2019-1-पांच(13).—राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों के अनुसार, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल व सेवा या दोनों की आपूर्ति हेतु बीजक तैयार करेंगे.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 को प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-51-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-51-2020-1-पांच (13), दिनांक 20 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th March 2020

No. F A-3-51-2019-1-V(13).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) to Rule 48 of Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government on the recommendations of the Council, hereby notifies registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice in terms of sub-rule (4) of Rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.